न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/05/2018	16–01–2018	15–01–2019

01–शिम्भू पुत्र रामचन्दर जाति बलाई निवासी थानागाजी, तहसील थानागाजी जिला अलवर राज।

अपीलाण्ट

बनाम

01–तहसीलदार थानागाजी, जिला अलवर राज।

रेस्पौडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार थानागाजी
दिनांक 12.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 411/2017

उपस्थितः–

01–श्री के. के. शर्मा –वकील अपीलाण्ट

–:निर्णयः–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार थानागाजी के आदेश दिनांक 12.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम थानागाजी की गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2743/0.30 है0 एवं 2689/0.70 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम थानागाजी की गै0मु0 बेहड़ भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2743/0.30 है0 एवं 2689/0.70 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 12.09.2017 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने दो माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 12.10.2017 के विरूद्ध दिनांक 16.01.2018 को पेश किया। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का परीक्षण किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विधिक प्रक्रिया अनुसार पत्रावली का निस्तारण किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 15–01–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0पी0जैन)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राजस्थान)